झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं0 3516 वर्ष 2023

साकिर अंसारी उम्र लगभग 25 वर्ष, पुत्र जाफर अंसारी निवासी गांव नारी, थाना किसको, डाकखाना किसको, जिला लोहरदगा, राज्य झारखण्ड

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य ..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री नवनीत सहाय, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री राकेश रंजन, अपर लोक अभियोजक

<u>निर्णय</u>

मा0 श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनों पक्षकारों को सुना।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को लोहरदगा थाना मामला सं0 309/2022 से उद्भुत आपराधिक पुनरीक्षण सं0 21/2023 में विद्वान सत्र न्यायाधीश,लोहदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2023 का अभिखण्डन करने के अनुरोध के साथ धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत, विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा ने उक्त आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज किया था तथा विद्वान सीजेएम लोहदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 की अभिपुष्टि किया था जिसके द्वारा, विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर वाहन पंजीकरण सं0 जेएच-09ई-1087 को छोड़े जाने के लिए याचिकाकर्ताकण के अनुरोध को नामंजूर किया था कि अन्वेषण अधिकारी तथा एमवीआई, लोहरगा के रिपोर्ट से प्रदर्शित होता है कि अभिग्रहीत वाहन के चेसिस नम्बर के साथ छेड़छाड़ किया गया है जबकि इंजन नम्बर वाहन से गायब है तथा वाहन घटना के तिथि को बीमित नहीं था तथा वाहन के पंजीकरण संख्या को भी घटना के बाद बदला गया है। वाहन को लोहरदगा थाना मामला सं0 309/2022 के सबंध में अभिग्रहीत किया गया था जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 279, 337, 338, 201, 420, 468 के अधीन दण्डनीय अपराध अर्न्तग्रस्त था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सम्पूर्ण अभिकथन मिथ्या तथा बनावटी है। वर्तमान आपराधिक विविध याचिका के पैरा 7(घ) में, याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि वाहन पंजीकरण संख्या जे एच-08 एफ-8820 एक दूसरे व्यक्ति अर्थात सगीर अंसारी का है, अतः यह निवेदन किया गया है कि आपराधिक पुनरीक्षण सं0 21 वर्ष 2003 के संबंध में विद्वान सेशन जज, लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक

22.08.2023 तथा लोहरदगा थाना मामला सं0 309/2022 के संबंध में विद्वान सीजेएम लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 अवैध होने के नाते इसे अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

4. राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आपराधिक पुनरीक्षण सं0 21 वर्ष 2003 के संबंध में विद्वान सेशन जज, लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2023 तथा लोहरदगा थाना मामला सं0 309/2022 के संबंध में विद्वान सीजेएम लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 का अभिखंडन करने के अनुरोध का जोदार तरीके से विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष न्यायालय नही आया है तथा याचिकाकर्ता धोखेबाज है तथा यह प्रश्नगत वाहन का स्वामी नहीं है इसने छल करने के प्रयोजन हेतु कूटरचना किया है तथा येनकेन प्रकारेण, वह वाहन लेना चाहता है, जो इसका नहीं है, अतः विद्वान मजिस्ट्रेट तथा विद्वान सेशन जज ने कोई अवैधता नहीं किया है। अंत में यह निवेदन किया गया है कि इस आपराधिक विविध याचिका को सभी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

5. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनों को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि यह संकेत देने के लिए अभिलेख में अपर्याप्त सामग्री है कि याचिकाकर्ता अभिग्रहीत वाहन का स्वामी है। याचिकाकर्ता धोखेबाज तथा छल करने हेतु कूटरचना करने के लिए अभिकथित है तथा इसने अलग अलग समय पर अलग अलग पंजीकरण संख्याओं का प्रयोग किया था तथा वाहन से इंजन नम्बर निकाल लिया है तथा चेचिस नम्बर का भी अन्तर्वेशन किया गया है। इस प्रकार की परिस्थितियों में, यह न्यायालय आपराधिक पुनरीक्षण सं0 21 वर्ष 2023 के संबंध में विद्वान सेंशन जज, लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2023 या लोहरदगा थाना मामला सं0 309/2022 के संबंध में विद्वान सीजेएम लोहरदगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 में कोई अवैधता नही पाता है।

6. तद्नुसार, इस आपराधिक विविध याचिका को सभी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 6 दिसम्बर, 2023
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।